

~~XXXX(a)~~BR(H)-11

राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश, ग्वालियर

प्रकरण क्रमांक आर.564-दो/05

जिला-भिण्ड

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आ के हस्ताक्षर
21-7-15	<p>इस प्रकरण में कई बार सूचना देने के बाद भी आवेदक की ओर से कोई उप. नहीं हो रहा है । इससे ऐसा प्रतीत होता है कि आवेदक को अपना प्रकरण चलाने में कोई रुचि नहीं है ।</p> <p>प्रकरण आदेशार्थ ।</p>	 सदस्य
4-8-15	<p>प्रकरण का अवलोकन किया । विचारोपरान्त प्रकरण आवेदक की रुचि के अभाव में इसी स्तर पर समाप्त किया जाता है । दाखिल रिकार्ड हो ।</p>	 सदस्य



C.F-1516/12

## माननीय राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश, ग्वालियर

प्रकरण क्रमांक

/05 पुनरीक्षण

श्रीमती रामबेटी पत्नी स्व. श्री रामलखन, आयु-80 वर्ष,  
निवासी- ग्राम नरीपुरा, वर्तमान निवासी- ग्राम गुसीग,  
थाना ऊमरी, जिला भिण्ड

---आवेदिका/पुनरीक्षणकर्ता

विरुद्ध

1. हरीकिशन पुत्र स्व. श्री रामनारायण, आयु-75 वर्ष,
2. राधेश्याम पुत्र स्व. श्री रामनारायण, आयु-70 वर्ष,
3. सुभाष, आयु-35 वर्ष
4. रामदुलारे, आयु-33 वर्ष
5. अशोक कुमार, आयु-32 वर्ष
6. गजा, आयु-22 वर्ष
7. विनोद, आयु-18 वर्ष
- 3 लगायत 7 पुत्रगण स्व.श्री रामदास पुत्र स्व.श्री रामनारायण
8. विश्वनाथ पुत्र स्व. श्री रामनारायण, आयु-65 वर्ष
9. कु. संपत्ति, आयु-20 वर्ष
10. कु. माया, आयु-18 वर्ष
- पुत्रियाँ स्व. श्री शिवनारायण पुत्र स्व. श्री रामनारायण
11. रामशंकर पुत्र स्व. श्री रामनारायण, आयु-55 वर्ष  
समस्त निवासीगण ग्राम नरीपुरा, तेहसील अटेर, जिला  
भिण्ड (म.प्र.)
12. म.प्र. शासन द्वारा जिलाधीश, भिण्ड (म.प्र.)

---अनावेदक/प्रत्यर्थागण

पुनरीक्षण अन्तर्गत धारा 50 सहपठित धारा 32, म.प्र. भू राजस्व संहिता,  
1959 विरुद्ध आदेश दिनांक 28.01.2005 पारित द्वारा न्यायालय अपर  
आयुक्त, चम्बल संभाग, मुरैना क्रमांक 2/94-95/अपील

माननीय न्यायालय,

पुनरीक्षणकर्ता की ओर से पुनरीक्षण याचिका निम्नानुसार प्रस्तुत है :-

K S 64.71/05

श्री सुकेतु शर्मा अर्थात् श्री सुकेतु शर्मा  
द्वारा आज दि. 26/4/05 को प्रस्तुत।

(अवर सचिव  
राजस्व मण्डल म.प्र. ग्वालियर)

26 APR 2005

श्री सुकेतु शर्मा  
Advocate